मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2696
17.03.2025 को उत्तर के लिए

वनाच्छादित क्षेत्रों में अंतर

2696. श्रीमती भारती पारधी :
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे :
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) के नवीनतम भारत में वन क्षेत्रों में परिवर्तन तथा वनाच्छादित क्षेत्र के संबंध में प्रमुख निष्कर्ष क्या है;
(ख) क्या विगत कुछ दशकों में देश में वन क्षेत्र में कोई परिवर्तन हुआ है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वन क्षेत्रों को बनाए रखने में सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;
(घ) देश भर में वन क्षेत्र में क्षेत्रीय भिन्नताओं का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी भिन्नताओं के लिए जिम्मेदार कारकों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) वनों की कटाई को रोकने तथा वनरोपण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार विकास को बढ़ावा देते समय वन संरक्षण के मुद्दे का समाधान किस प्रकार करती है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, देश के वन एवं वृक्षावरण का द्विवार्षिक आकलन करता है तथा इसके निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किया जाता है।

आईएसएफआर 2023 के अनुसार, देश का कुल वन एवं वृक्षावरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत है। इसमें 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आवरण और 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वृक्ष आवरण के रूप में शामिल है। वर्तमान आकलन वर्ष 2021 के गत आकलन की तुलना में वन एवं वृक्षावरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है। इसमें वनावरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 1289.4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है।

देश में आईएसएफआर 2013 और आईएसएफआर 2023 के बीच पिछले दस वर्षों के दौरान वनावरण में 16,630.25 वर्ग किलोमीटर की निवल वृद्धि हुई है। इस प्रकार, देश के वन और वृक्षावरण को न केवल बनाये रखा गया है,

बल्कि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए संरक्षण प्रयासों सहित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण इसमें पिछले दशक में निवल वृद्धि भी हुई है। पिछले दशक से देश में वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है।

वनावरण का आकलन गहन प्रत्यक्ष-सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्रीय आंकड़ों की सहायता से सुदूर संवेदन पर आधारित एक वॉल-टू-वॉल मानचित्रण प्रक्रिया है। राज्यवार वन और वृक्षावरण आकलन के अलावा, आईएसएफआर 2023 ने देश के तीन विशिष्ट क्षेत्रों, अर्थात् पश्चिमी घाट पारि-संवेदी क्षेत्र (डब्ल्यूजीईएसए), देश के पहाड़ी जिले और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में भी विवरण प्रदान किया है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार, डब्ल्यूजीईएसएके तहत सभी जिलों में वनावरण 44,043.99 वर्ग किलोमीटर है, देश के पहाड़ी जिलों में वनावरण 2,83,713.20 वर्ग किलोमीटर है और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वन और वृक्षावरण 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर है।

वन तथा वृक्ष संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। देश के वन और वृक्ष संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानूनी कार्यढांचे हैं जिनमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 और राज्य वन अधिनियम और नियम शामिल हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शिकाएं जारी करता है। इस संबंध में, राज्य वन विभागों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन, वन सीमा पर खंभे लगाना और फील्ड कर्मचारियों द्वारा नियमित गश्त किया जाना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय देश में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वनरोपण के लिए, सरकार ने विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वन्यजीव पर्यावासों का विकास (डीडब्ल्यूएच), वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजनाएँ (एफएफपीएमएस), नगर वन योजना (एनवीवाई) और तटीय पर्यावास मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) के तहत धनराशि उपलब्ध कराई गई है। ये स्कीमें वन क्षेत्रों और इसके बाहर वनरोपण, वन भूदृश्य पुन:बहाली, पर्यावास सुधार, मृदा और जल संरक्षण उपायों तथा सुरक्षा आदि के माध्यम से पारिस्थितिकीय बहाली के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत भी वनरोपण किया जाता है।

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" के दृष्टिकोण को अपनाते हुए पूरे देश में हरित आवरण को बढ़ाने हेतु वृक्षारोपण कार्यविधियों को शुरू करने के लिए एक_पेड_मां_ के_नाम #Plant4Mother नामक अभियान शुरू किया गया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन को विनियमित करते समय, समुचित उपशमन उपायों के माध्यम से संरक्षण और विकास के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण (सीए), निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का भुगतान, मृदा और नमी संरक्षण कार्य तथा स्थल विशिष्ट संरक्षण योजना शामिल हैं।

****